बैंकों में धोखाधड़ी

7538. **श्री राम लाल राही :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जिलेवार बैंकों में कुल कितने ऐसे मामले प्रकाश में आये हैं जिनमें बैंक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिली भगत से धोखाधड़ी की गई है ;

(ख) इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को क्या दण्ड दिया गया ; और

(ग) धोखाधड़ी के इस प्रकार के मामलों को रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) बैंक अधिकारियों तथा कर्मचारियों की मिली भगत से देश के अन्दर बैंकों में धोखाधड़ी के मामलों की कुल संख्या के सम्बन्ध में राज्यवार सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। वर्ष 1980, 1981 तथा 1982 (30 सितम्बर, 1982तक) के दौरान पूरे देश में सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों में हुई धोखाधड़ियों की कुल संख्या के सम्बन्ध में सूचना नीचे दी गई है :

1980	1594
1981	1891
1982 (30.9.1982 तक)	1574

टिप्पणी : 1. "बैंक धोखाधड़ी" में सामान्यतः मिथ्या-निरुपण, विश्वास भंग, लेखापुस्तकों में हेराफेरी, चैकों, ड्राफ्टों और विनिमन पत्रों जैसी लिखतों को धोखाधड़ी से भुनाना, बैंकों को भारित प्रतिभूतियों का अनधिकृत लेन-देन, अपकरण, गबन, चोरी, राशियों का मिथ्या-निरुपण, सम्पत्ति का परिवर्तन, ठगी, कमियां, अनियमितताएं आदि शामिल हैं।

2. बैंकों द्वारा सूचित की गई सभी धोखाधड़ियां विवरण में शामिल की गई हैं चाहे उनमें अन्तर्ग्रस्त राशि कुछ भी क्यों न हो। इन धोखाधड़ियों में अन्तर्ग्रस्त राशि अविवार्यतः बैंकों को हुई हानि की राशि की द्योतक नहीं है।

उन अधिकारियों तथा कर्मचारियों को दिये गये दण्ड में, जोकि अपराधी पाये गए थे, ये शामिल हैं—चेतावनी देना/निन्दा करना, वेतनवृद्धियों का रोका जाना, रैंक में कमी, प्रत्यावर्तन करना, बर्खास्त करना, मुअत्तिल करना, दोसिद्धि आदि।

धोखाधड़ियों के विरुद्ध सुरक्षणों को विहित करने वाली, सभी बैंकों की अपनी अनुदेश पुस्तकाएं हैं उनके अनुभवों के आधार पर समय-समय पर इनकी समीक्षा की जाती है और इन्हें सुचारू बनाया जाता है। धोखाधड़ियों को रोकने और सुरक्षणों के विशिष्ट उपायों के सम्बन्ध में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भी बैंकों को आवधिक अनुदेश जारी किये जाते हैं। 25.2.83 को बुलाई गई सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालकों की बैठक में, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने, बैंकों में धोखाधड़ियों की घटनाओं पर, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई गम्भीर चिन्ता से, बैंकों को अवगत कराया। मुख्य कार्यपालकों को अपने यहां सतर्कता तंत्र को सुदृढ़ बनाने की हिदातें दी गई हैं। उनसे यह भी कहा गया है कि दोषी कर्मचारियों को कठोर दण्ड दें और बैंकों में धोखाधड़ियों की घटनाओं से बचने के लिए सभी संभव निरोधक उपाय करें। बैंक शाखाओं के कार्यकलापों पर अधिक नियंत्रण रखने के उद्देश्य से, बैंकों की अन्तः शाखा खातों के

शीघ्र समाशोधन, प्रभावी शाखा पर्यवेक्षण और नियमित निरीक्षणों की आवश्यकता के बारे में भी स्मरण कराया गया है।

विदेशी ऋणों से चलाये जाने वाले कार्यक्रम

7539. **श्री रामलाल राही :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने इस बात का संकेत दिया है कि 1980-89 दशक के दौरान भारत में पूंजीगत निवेश कार्यक्रम विदेशी संसाधनों पर निर्भर करेगा ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या सरकार का विचार सभी कार्यक्रमों को विदेशी ऋण से चलाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस दशक के पूंजीगत निवेश कार्यक्रमों के लिये पृथक-पृथक कितनी सीमा तक विदेशी संसाधन और कितनी सीमा तक संसाधन जुटाये जा रहे हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) यह सवाल पैदा ही होता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) छठी आयोजना की अवधि (1980-85) के दौरान किए जाने वाले कुल पूंजीगत निवेश में विदेशी संसाधनों से लगभग 5.7 प्रतिशत तक की निवल राशि की प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है। जहाँ तक छठी आयोजना के बाद की अवधि का संबंध है 1985-90 के दौरान आवश्यक विदेशी संसाधनों का पता सातवीं आयोजना को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही चलेगा।

भारत द्वारा विदेशों से उधार ली गई राशि

7540. **श्री राम लाल राही :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 के दौरान भारत ने विदेशों से कितना ऋण लिया था ;

(ख) किसानों को कितना ऋण दिया गया अथवा कृषि योजनाओं पर कितनी राशि व्यय की जायेगी; और

(ग) घाटे पर चल रही परियोजनाओं के लिये कितनी राशि का प्रावधान किया गया और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) भारत (केवल सरकारी खाता) द्वारा वर्ष 1981-82 के दौरान विदेशों/विदेशी संस्थाओं से कुल 1420.77 करोड़ रुपए की रकम उधार ली गई।

(ख) और (ग) भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी विदेशी ऋण समूची अर्थव्यवस्था के लिए उपलब्ध साधनों के केन्द्रीय पूल में शामिल कर लिए जाते हैं विभिन्न स्रोतों से प्राप्त ऋण परियोजना सहायता, परियोजना-भिन्न सहायता या कार्यक्रम सहायता के रूप में होते हैं। कृषि और संबंधित योजनाओं की एक सूची संलग्न है जिनके लिए 1981-82 में ऋण करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे।

संलग्न सूची में दी गई कोई भी परियोजना घाटे पर नहीं चल रही है।